

**कार्यालय- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), झारखण्ड, राँची-2**  
**पत्रांक- दिनांक-**

प्रेषक,

जे० बी० जौहर, भा०व०से०,  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची- 2

सेवा में,

सचिव,  
वन एवं पर्यावरण विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जाने वाली वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए **4.558 लाख (चार लाख, पचपन हजार, आठ सौ) रु०** मात्र की योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

झारखण्ड राज्य में वनों का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.61 प्रतिशत है । सम्पूर्ण वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए भारतीय वन सेवा के 130 पदाधिकारी, झारखण्ड वन सेवा में 156 पदाधिकारी, 380 वनों के क्षेत्र पदाधिकारी 1063 वनपाल, 3161 वनरक्षी एवं 1070 अनुसचिवीय कर्मचारियों के पद संधारित है । वनों पर जैविक एवं अन्य दबाव की अधिकता की ध्यान में रखते हुए मानव संसाधनों का पूर्ण विकास के लिए वरीय पदाधिकारी द्वारा राज्य से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा । इस कार्य हेतु गैर योजना मद में कोई राशि उपलब्ध नहीं है ।

2) वित्तीय वर्ष 2008-09 में आवश्यकतानुसार सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के निदेश के आलोक में वरीय पदाधिकारी द्वारा राज्य से बाहर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा, जिसकी सूचना समय-समय पर सरकार को दी जायेगी ।

3) वर्ष 2008-09 में मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष- 796 जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष- 02 वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण, विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते तथा विस्तृत शीर्ष-03 प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत 72.00 लाख रु० का बजट उपबंध स्वीकृत है । स्वीकृत बजट उपबंध की इकाईवार विवरणी निम्नवत है :-बजट पुस्तिका पृष्ठ सं० (140) के अनुसार:

क्र०सं०	इकाई	स्वीकृत बजट उपबंध (राशि रु० लाख में)
1	मजदूरी	18.00
2	कार्यालय व्यय	0.60
3	आपूर्ति एवं सामग्री	34.00
4	व्यवसायिक सेवायें	8.00
5	प्रशिक्षण व्यय	11.40
	<b>योग</b>	<b>72.00</b>

- 4) प्रस्तावित कार्यों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप वन संरक्षक योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची होंगे ।
- 5) उप वन संरक्षक योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के अनुशांसा के आलोक में नामित वरीय पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायेंगे ।
- 7) विषयाधीन योजनान्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित इकाईयों में राशि उपलब्ध है।

(राशि रु० लाख में)

क्र०सं०	इकाई	राशि रु० लाख में
1	मजदूरी	11.150
2	कार्यालय व्यय	0.132
3	आपूर्ति एवं सामग्री	21.160
4	व्यवसायिक सेवायें	0.000
5	प्रशिक्षण व्यय	4.558
	<b>योग</b>	<b>37.000</b>

- 8) वर्ष 2008-09 में बजट मुख्य शीर्ष- 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, जनजातीय उपयोजना, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष- 02 वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण, विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते तथा विस्तृत शीर्ष-03 प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत स्वीकृत उपबन्धित राशि रु० 72.00 लाख के विरुद्ध व्यय हेतु प्रस्तावित 4.558 लाख (चार लाख, पचपन हजार, आठ सौ) रु० निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी :-

(राशि रु० लाख में)

क्र०सं०	इकाई	राशि रु० लाख में
1	प्रशिक्षण व्यय	4.558
	<b>योग</b>	<b>4.558</b>

अनुरोध है कि प्रस्तावित कार्यों से संबंधित स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें ।

अनु०यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

ह०/-

(जे० बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),

झारखण्ड, राँची- 2

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, योजना अंचल, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ

प्रेषित ।

(जे० बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),

झारखण्ड, राँची- 2